

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या-2202/37-1-2015-9(26)/2015
लखनऊ: दिनांक 26 मई, 2015

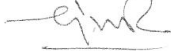
कार्यालय-आदेश

एतद्वारा श्री राज्यपाल निम्नलिखित उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों/उप निदेशकों/अधीक्षकों को स्व अनुरोध पर उनके वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं:-

क्र०	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना/प्रभार का स्थान	गृह जनपद/ज्ये०क्र०	तैनाती स्थान
1	2	3	4
1	डा० हृदय प्रकाश मिश्रा, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, निघासन, खीरी	आजमगढ़ 812	उप निदेशक, लघु पशु-2, मुख्यालय
2	डा० दीपेन्द्र कुमार बंसल, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, इकौना, श्रावस्ती	मु०नगर 803	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुधन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ
3	डा० टोडरमल, उप निदेशक, पैथालाजिस्ट, गोण्डा	बाराबंकी 718	उप निदेशक, कुक्कुट रोग निदान, मुख्यालय
4	डा० ईश्वर नारायण सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकि०स्वा०, रायबरेली	गाजीपुर 646	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सदर, मिर्जापुर
5	डा० पुष्पेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सदर, फैजाबाद	गोण्डा 667	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सदर, गोरखपुर
6	डा० रमेश चन्द्र चौधरी, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सरीला, हमीरपुर	इटावा 978	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, महमूदाबाद, सीतापुर
7	डा० ऊदन लाल गुप्ता, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सदर, बलरामपुर	लखीमपुर 696	उप निदेशक, टी०बी० एवं बुसेल्ला, निदेशालय
8	डा० देवेन्द्र कुमार गुप्ता, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जलालपुर, अम्बेडकरनगर	अलीगढ़ 779	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, दातागंज, बदायूँ
9	डा० जगदीश सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, तालवेहट, ललितपुर	मुरादाबाद 851	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, मोहम्मदी, खीरी

2- स्थानान्तरित अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वह आदेश निर्गत होने के दिनांक से 01 सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें

अन्यथा



.....2

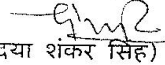
उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित प्राधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल अवमुक्त कर दे। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुये, सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

दया शंकर सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-2202(1)/37-1-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- 2- संयुक्त निदेशक(प्रशासन), पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- 3- सम्बन्धित अपर निदेशक(ग्रेड-2), पशुपालन विभाग द्वारा निदेशक, पशुपालन।
- 4- सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन।
- 6- सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा निदेशक, पशुपालन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव